भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3224

जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

पेट्रोल पंपों पर क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर बैंकों द्वारा सेवा प्रभार लगाना

3224. श्री राजीव राय:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंक पेट्रोल पंपों पर क्रेडिट/डेबिट कार्ड के उपयोग पर सेवा प्रभार लगाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो पेट्रोल पंपों पर ऐसे सेवा प्रभारों के लिए लेन-देन का संकेत दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंकों द्वारा ऐसे प्रभार लगाए जाना अर्थव्यवस्था में नकदी के कम उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने में बाधक नहीं है; और

(घ) क्या सरकार ने इन सेवा प्रभारों को हटाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 17 अगस्त, 2022 को भुगतान प्रणालियों में प्रभार संबंधी अपने चर्चा पत्र में यह बताया है कि मध्यस्थों के लिए इष्टतम राजस्व प्रवाह प्रदान करते समय उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान सेवाओं हेतु प्रभार उचित और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से निर्धारित होने चाहिए। प्रभावी भुगतान प्रणाली संचालन के लिए ऑपरेटरों को उपयुक्त प्रतिलाभ प्रदान करते हुए उपयोगकर्ताओं के लिए न्यूनतम लागत की गारंटी देने हेतु शुल्क, प्रभार और कीमतों के उचित निर्धारण की आवश्यकता होती है। इष्टतम परिदृश्य में बाजार की शक्तियों को मांग, आपूर्ति, विकास और उपयोगकर्ता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन लागत-संबंधी संरचनाओं को निर्देशित करने की अनुमति देना शामिल होगा। इस प्रकार, बैंकों द्वारा प्रभार लगाने से अर्थव्यवस्था में नकदी के उपयोग को कम करने के उद्देश्य में बाधा नहीं आनी चाहिए, जहां तक कि यह डिजिटल भुगतान चैनलों को अधिकाधिक अपनाए जाने को प्रोत्साहित करता है।

(घ): भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि उन्होंने इस मामले में कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

*****